रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11 1989/ फाल्गुन 20, 1910

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 1989/PHALGUNA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Seperate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a seperate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1989

सा का नि 143—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अकादमी, उमसा, बारापानी के कार्यालय मे समूह "ग" पदो पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी बारापानी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

2 लागू होना ये नियम इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 मे विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि : उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 15 मे विनिर्दिष्ट है ।

465 GI/89—1

6
2. In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
Essential : B.Sc. (Statistics or Maths.) from a recognised university. Desirable : 1. Knowledge and experience in Computer programming 2. Experience of Working in Medical Statistics and with Computor.	No	2 years for direct recruitment.	100% by direct recruitment.

12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Senior most Deputy Director—Chairman 2. Senior most Assistant Director—Member 3. Administrative Officer—Member	Not applicable

[No. A-12018/1/85-CCD (Lep)]

A. KISHORE, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1989

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर महानिदेशक (विपणन) दूरदर्शन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपर महानिदेशक (विपणन) दूरदर्शन भर्ती नियम 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. :—शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. :—व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अपर महानिदेशक (विपणन)	1* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	5900-200-6700 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य (2) विज्ञापन विपणन, विक्रय संवर्धन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में 18 वर्ष का अनुभव जिसमें प्रबंधकीय हैसियत में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । टिप्पण :—1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । वांछनीय : कारबार प्रशासन विपणन प्रबंध में डिप्लोमा	लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" धारण करने वाले या ज्येष्ठ स्टाफ स्कीम के अधीन 5900-6700 रुपये वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र ऐसे अधिकारी जिनके पास विक्रय संवर्धन विपणन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में 5 वर्ष का अनुभव है;

11	12
	2. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के ऐसे अधिकारी :— क(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते है; या (2) जिन्होंने 4500-5700 रुपये वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है। ख. जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) : (1) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष (2) महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[संख्या-501/1/87-टी.वी. (ए)]
वी. के. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th January, 1989

G.S.R. 161.—In exercise of tht powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director General (Marketing) Doodarshan in the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting, Additional Director General (Marketing) Doordarshan, Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Additional Director General (Marketing)	1* (1989) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5900-200-6700/-	Not applicable	No

Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 18 years' experience in advertising marketing, sales promotion and other allied areas out of which 10 years should be a managerial capacity. Note—1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note—2 : The qualification(s) prescribed/experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing	Not applicable	One year

7	8	9	10
	the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them Desirable: Diploma in Business Administration/Marketing Management.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
11	12
By transfer on deputation (including sohrt-term contract) failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation (including short-term contract). Officers of All India Service or Central Services Group 'A' holding or eligible for appointment to posts in the pay scale of Rs. 5900-6700 under the Senior Staffing Scheme with 5 years experience in scales Promotion/Marketing and other allied areas; 2. Officers of Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies etc. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-5700 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) : (i) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Chairman (ii) Director General, Doordarshan—Member Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, those are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary

[No. 501/1/87-TV(A)]

V.K. ARORA, Under Secy.